मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

विश्वविद्यालय और कॉलेज छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना के लिए दिशा-निर्देश

पृष्ठभूमि:

शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय मेरिट छात्रवृत्ति योजना 1961-62 में शुरू की गई थी। यह योजना कक्षा 11 से स्नातकोत्तर स्तर तक के प्रतिभाशाली परंतु गरीब छात्रों के लिए थी। इसके अतिरिक्त, शिक्षा विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति योजना भी 1971-72 में शुरू की गई थी। यह योजना कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली परंतु गरीब छात्रों के लिए थी। शिक्षा विभाग द्वारा इन दोनों योजनाओं को मिलाकर एकल योजना नामत: 'राष्ट्रीय मेरिट छात्रवृत्ति योजना' 2005-06 में कार्यान्वयन हेतु शुरू की गई थी। यह योजना कक्षा 9 से स्नातकोत्तर स्तर तक के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए थी। तथापि, योजना आयोग द्वारा वर्ष 2007-08 के लिए निधि उपलब्ध नहीं कराई गई थी इसलिए 1.4.2007 से यह योजना बंद कर दी गई। वर्ष 2007-08 से स्कूल शिक्षा नए विभाग नामत: स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधीन आ गई। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने एक नई योजना 'राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना' शुरू की है। इस योजना में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शामिल किए जाएंगे। उच्चतर शिक्षा विभाग ने 1000 करोड़ रूपए के अनुमोदित परिव्यय के साथ 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु निम्न आय परिवारों के विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में जाने वाले मेधावी छात्रों के लिए एक नई योजना शुरू की है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका नाम 'केंद्रीय कॉलेज व विश्वविद्यालय छात्र-छात्रवृत्ति योजना' है।

2. **उद्देश्य:**

निम्न आय वाले परिवारों के प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्ति के दौरान उनके कुछ दैनिक व्यय पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।

3. **क्षेत्र:**

ये छात्रवृत्तियां वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा के परिणामों के आधार पर दी जाएंगी। कॉलेजों और विश्वविद्यालों तथा पेशेवर पाठ्यक्रमों जैसे चिकित्सा,

इंजीनियरिंग आदि में स्नातक/स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिए प्रतिवर्ष 82,000 नई छात्रवृत्तियां (बालकों के लिए 41,000 तथा बालिकाओं के लिए 41,000) दी जाएंगी।

4. **छात्रवृत्तियों का आवंटन:**

छात्रवृत्तियों की कुल संख्या देश में विभिन्न बोर्डों के सफल हुए छात्रों की संख्या के आधार पर सीबीएसई व आईसीएसई का हिस्सा बांटने के पश्चात् 18-25 वर्ष आय समूह में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर बांटी जाएगी। **50 प्रतिशत छात्रवृत्तियां बालिकाओं के लिए चिन्हित होंगी।** किसी राज्य बोर्ड को आवंटित छात्रवृत्तियों की संख्या राज्य बोर्ड के विज्ञान, वाणिज्य व मानविकी विषयों के सफल छात्रों के बीच 3:2:1 के अनुपात में बांटी जाएगी।

5. **पात्रता:**

वे छात्र जो किसी परीक्षा बोर्ड विशेष में कक्षा 12 के 10+2 पैटर्न अथवा उसके समकक्ष कक्षा में संबंधित विषय में सफल उम्मीदवारों के 80वें शतमक से ऊपर हैं और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) दिनांक 8.09.03 (संलग्नक-IV) द्वारा यथापरिभाषित गैर-क्रीमीलेयर से आते हों और उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था.(आरक्षण), दिनांक 9 मार्च, 2004 (संलग्नक-V) द्वारा यथासंशोधित और समय-समय पर इसमें जो भी संशोधन किया जाए, और वे मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान से नियमित पाठ्यक्रम (पत्राचार या दूरस्थ रीति से नहीं) शिक्षा प्राप्त कर रहे हों और वे किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हों, वे इस योजना के विचारार्थ पात्र होंगे। यह योजना सामान्य और आरक्षित दोनों प्रकार के छात्रों के सभी वर्गों के लिए लागू है।

5.1 **आरक्षण:**

आरक्षित वर्गों/कमजोर वर्गों/अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र केंद्रीय आरक्षण नीति और आंतरिक निर्धारण के अध्यधीन मेरिट के आधार पर पात्र होंगे। यह छात्रवृत्ति गैर-क्रीमीलेयर के छात्रों के लिए उपलब्ध होगी। इस विषय पर नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-क्रीमीलेयर के लिए आय की ऊपरी सीमा 06 लाख रूपए प्रतिवर्ष है। इस समय विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण इस प्रकार है:- अनुसूचित जाति 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 7.5 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 27 प्रतिशत और सभी वर्गों में विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण।

6. चयन प्रक्रिया

परीक्षा निकाय बोर्डों/विश्वविद्यालयों/ प्राधिकरण द्वारा घोषित परिणामों के पश्चात् पांच सप्ताह के भीतर उन छात्रों की योग्यता क्रम सूची तैयार करेंगे (संलग्नक-I) जिनके छात्रवृत्ति के लिए पात्र होने की संभावना हो। सूची तैयार करने से पूर्व छात्रों के माता-पिता की आय को ध्यान में रखा जाएगा।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बोर्ड/विश्वविद्यालय/प्राधिकरण योग्यता क्रम सूची के ऊपर उपलब्ध छात्रवृत्तियों की संख्या से दुगुने छात्रों को (इन्कार करने वाले और अपात्र माने जाने वालों के स्थान पर व्यवस्था के लिए) रजिस्ट्री डाक से पत्र भेजेंगे कि 15 दिनों के भीतर पुष्टि करें कि क्या वह छात्रवृत्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।

जिन उम्मीदवारों से राज्य बोर्ड/सीबीएसई/आईसीएसई को सहमति व्यक्त करने के 30 दिनों के भीतर उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो छात्रवृत्ति के लिए उन के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा और छात्रवृत्ति योग्यता क्रम सूची में अगले पात्र उम्मीदवारों को दे दी जाएगी।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बोर्ड/विश्वविद्यालय विचारार्थ छात्रवृत्ति की लघुसूची में रखे गए प्रत्येक उम्मीदवार को निम्नलिखित भेजेंगे:

(क) अधिकार कार्ड

(ख) आय शपथपत्र फार्म

(ग) 'ब्यौरे के विवरण' का प्रपत्र

लघु सूची में रखे गए छात्र विधिवत रूप से भरे अधिकार कार्ड (संलग्नक-II), आय शपथपत्र फार्म (संलग्नक-III) तथा ब्यौरे का विवरण (संलग्नक-IV), उनके द्वारा ज्वाइन की गई संस्था के प्रमुख को पेश करेंगे। संस्था प्रमुख अधिकार कार्ड को पूरा करेगा और संबंधित राज्य बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, जैसा मामला हो, को भेजेगा।

पूर्ण 'विवरण' सहित 'ज्वाइनिंग रिपोर्ट' की प्राप्ति पर संबंधित बोर्ड तब योजना के आधार पर पात्रता मानदण्ड और केन्द्र सरकार के आरक्षण दिशा-निर्देशों के उस बोर्ड के छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं की सूची संकलित करेगा और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रभाग को भेजेगा जो छात्र को नामज़द बैंक के माध्यम से छात्रवृत्ति के भुगतान की व्यवस्था करेगा। बोर्ड द्वारा

सूची के साथ छात्र का नाम, पत्राचार का पता और बैंक खाते का ब्यौरा जिसमें छात्रवृत्ति का भुगतान करना होगा, भेजा जाना होता है।

यदि संबंधित बोर्ड उम्मीदवार से संस्था के प्रमुख द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ज्वाइनिंग रिपोर्ट संस्था में दाखिला बन्द होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं करता है तो उस उम्मीदवार को छात्रवृत्ति देने के मामले पर विचार नहीं किया जाएगा। तब वह छात्रवृत्ति योग्यता क्रम सूची के अगले पात्र उम्मीदवार को दे दी जाएगी।

7. छात्रवृत्तियों की दर

कालेज और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के प्रथम तीन वर्षों के लिए स्नातक स्तर पर छात्रवृत्ति की दर 1000/- रू. प्रतिमाह और स्नातकोत्तर स्तर पर 2000/- रू. प्रतिमाह होगी। व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने वाले छात्र चौथे और पांचवे वर्ष, 2000/- रू. प्रतिमाह प्राप्त करेंगे। छात्रवृत्ति का भुगतान एक अकादमिक वर्ष में 10 माह के लिए किया जाएगा।

8. माता-पिता की आय की उच्चतर सीमा

छात्रवृत्तियां केवल उन्हीं छात्रों जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अपनी दिनांक 08.09.1993 की अधिसूचना सं. 36012/22/93-स्था.(एससीटी) द्वारा यथापरिभाषित और अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/3/2004/ स्थापना(रेस) द्वारा यथा संशोधित एवं आगे समय-समय पर यथासंशोधित होने वाले और किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ न उठाने वाले नॉन-क्रीमलेयर छात्रों, को दी जाएगी वर्तमान में उच्चतम आय सीमा 4.5 लाख रू. प्रति वर्ष है। हर वर्ष नए सिरे से आय प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा बशर्ते, छात्र नवीकरण के लिए निर्धारित सभी अन्य निबंधन और शर्तें पूरी करता हो। योजना के अंतर्गत सभी वर्गों के लिए छात्रवृत्ति केवल उन्हीं छात्रों को दी जाएगी जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से आय प्रति वर्ष 4.5 लाख रू. से अधिक न हो।

9. छात्रवृत्ति की अवधि और उसका नवीकरण

योजना के अधीन छात्रवृत्ति उसी शाखा में स्नातकोत्तर स्तर तक वर्ष-दर-वर्ष नवीकरणीय होती है। सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति उस पाठ्यक्रम के स्नातक स्तर तक नवीकृत की जाएगी। सभी पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति अधिकतम पांच वर्ष तक नवीकृत की जाएगी। रवीकरण अगली कक्षा में प्रोन्नति पर

निर्भर होगा बशर्ते; छात्र विगत दो सेमेस्टरों में 60% या अधिक या समकक्ष औसत ग्रेड प्वाइण्ट या वार्षिक परीक्षा, जो अगली कक्षा में उसकी प्रोन्नति निर्धारित करती हो, अर्जित करे। यह छात्र के अनुशासन तथा कम-से-कम 75% उपस्थिति बनाए रखने के अध्यधीन होगा। रैगिंग में लिप्त पाये जाने की किसी शिकायत सहित छात्रों के विरूद्ध अनुशासन की शिकायतें मिलने पर छात्रवृत्ति जब्त कर ली जाएगी।

यदि छात्र बीमारी और या किसी अप्रत्याशित घटना के कारण वार्षिक परीक्षा देने में असमर्थ रहता है तो चिकित्सा प्रमाणपत्र देने और संस्था के प्रमुख को संतुष्ट करने के लिए कोई अन्य प्रमाण देने पर अवार्ड अगले शिक्षण वर्ष तक नवीकृत किया जा सकता है, जो यह प्रमाणित करेगा कि छात्र ने यदि परीक्षा दी होती तो वह 60% अंकों के साथ या समकक्ष औसत ग्रेड प्वाइंट से उत्तीर्ण हो गया होता।

यदि छात्र अपना अध्ययन का पाठ्यक्रम उस शाखा में परिवर्तित करता है जो उसके स्कूल बोर्ड में XII तक न पढ़ाई गई जो (उदाहरण कानून, फैशन प्रौद्योगिकी इत्यादि) तो उसे अपनी छात्रवृत्ति जारी रखने/नवीकृत कराने की अनुमति दी जाएगी। उन पाठ्यक्रमों के छात्रों, जिन की अवधि 5 वर्ष हो, उन्हें पहले तीन वर्षों के लिए 1000/-रू. प्रति माह छात्रवृत्ति आर बाद के दो वर्षों के लिए 2000/- रू. प्रति माह छात्रवृत्ति मिलेगी। अपना अध्ययन कालेज/संस्था बदलने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति जारी रखी जाएगी। नवीकृत की जाएगी बशर्ते; अध्ययन का पाठ्यक्रम और संस्था मान्यता प्राप्त हो। छात्र, अध्ययन-पाठ्यक्रम और शाखा के अंतर के बिना कुल 5 वर्षों की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पाने का पात्र होगा। छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है सद्व्यवहार और उपस्थिति में नियमितता अपेक्षित है। ऐसे सभी मामलों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा। छात्रवृत्ति एक बार रद्द किए जाने पर किसी भी स्थिति में बहाल नहीं की जाएगी।

10. छात्रवृत्ति का भुगतान

केन्द्र सरकार द्वारा चुने हुए छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान उनके द्वारा खोले गए खाते में सीधे किया जाएगा।

छात्रवृत्ति का भुगतान प्रवेश के माह से प्रारम्भ होगा।

छात्रवृत्ति का भुगतान, शैक्षणिक वर्ष में अधिकतम 10 महीने की अवधि तक किया जाएगा।